न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 81/22

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		1 रमेश अटल पुत्र श्री जेठमल अटल जाति माहेश्वरी निवासी सोनीवाडा तहसील नागौर जिला नागौर। फर्मः– मैसर्स पंकज अटल, पंसारी बाजार, नागौर। 2 पंकट अटल पुत्र गोविन्दलाल निवासी सोनीवाडा तहसील व जिला नागौर। फर्मः– मैसर्स पंकज अटल, पंसारी बाजार, नागौर। 3 ममता मोटवाणी पत्नी लालचंद मोटवाणी निवासी एस–23 नंदपुरी मार्ग, गीजगढ विहार, 22 गोदाम, जयपुर राजस्थान 302019 फर्मः– Welcome foods, shop no. 4 & Katla Surajpole Mandi Jaipur 302001

आदेश दिनांक :16.01.2023

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 02-02-2022 को मैसर्स पंकज अटल, पंसारी बाजार, नागौर पर खाद्य पदार्थ Culinary Sauce Continental Sauce (Tiny Top brand) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1746 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/276/एक्ट/2022/110 दिनांक 17.02.22 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ Culinary Sauce Continental Sauce (Tiny Top brand) अनसेफ होना पाया गया। तत्पश्चात अप्रार्थीगण के असंतुष्ट होने पर उक्त खाद्य पदार्थ Culinary Sauce Continental Sauce (Tiny Top brand) की जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार पुणे को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 13.06.2022 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ Culinary Sauce Continental Sauce (Tiny Top brand) सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण रमेश अटल पुत्र श्री जेठमल अटल जाति माहेश्वरी निवासी सोनीवाडा तहसील नागौर जिला नागौर, पंकज अटल पुत्र गोविन्दलाल निवासी सोनीवाडा तहसील व जिला नागौर तथा ममता मोटवाणी पत्नी लालचंद मोटवाणी निवासी एस–23 नंदपुरी मार्ग, गीजगढ विहार, 22 गोदाम, जयपुर राजस्थान 302019 ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 14-11-22 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 16.01.23 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने हमारी दुकान से Culinary Sauce Continental Sauce (Tiny Top brand) का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। हम यह खाद्य पदार्थ Culinary Sauce Continental Sauce (Tiny Top brand) मैसर्स Welcome foods, shop no. 4 & Katla Surajpole Mandi Jaipur 302001 के यहां से खरीदते है एवं जिस स्थिति में खरीदते है उसी स्थिति मे बेच देते है। अप्रार्थी संख्या 03 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मैसर्स पंकज अटल, पंसारी बाजार नागौर से Culinary Sauce Continental Sauce (Tiny Top brand) का सैम्पल लिया जो जांच में सबस्टेंडर्ड होना पाया गया। उक्त खाद्य पदार्थ मेरी फर्म द्वारा बेचा गया था। अप्रार्थीगण ने बताया कि भविष्य में खाद्य पदार्थ Culinary Sauce Continental Sauce (Tiny Top brand) को बेचते समय ऐसी गलती नहीं करेंगे लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/276/एक्ट/2022/110 दिनांक 17.02.22 के अनुसार खाद्य पदार्थ Culinary Sauce Continental Sauce (Tiny Top brand) का नमूना अनसेफ होना पाया गया तत्पश्चात अप्रार्थीगण के असंतुष्ट होने पर उक्त खाद्य पदार्थ Culinary Sauce Continental Sauce (Tiny Top brand) की जांच निदेशक रेफरल फूड लेबोरेट्री भारत सरकार पुणे को भिजवाई गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट दिनांक 13.06.2022 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया खाद्य पदार्थ Culinary Sauce Continental Sauce (Tiny Top brand) का नमूना सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

अप्रार्थी संख्या 01 रमेश अटल पुत्र श्री जेठमल अटल जाति माहेश्वरी निवासी सोनीवाडा तहसील नागौर जिला नागौर तथा अप्रार्थी संख्या 02 पंकज अटल पुत्र गोविन्दलाल निवासी सोनीवाडा तहसील व जिला नागौर पर संयुक्त रूप रूपये 30,000/– अक्षरे तीस हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 03 ममता मोटवाणी पत्नी लालचंद मोटवाणी निवासी एस–23 नंदपुरी मार्ग, गीजगढ विहार, 22 गोदाम, जयपुर राजस्थान 302019 पर रूपये 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये, कुल रूपये 45,000/– अक्षरे पैंतालीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)